संख्या 1346 पत्रावली संख्या–बी–47594 दिनांक 19/6/2017

सोसाइटी – रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण – पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

संख्या –286 2017–2018

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि– **डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी, मो० कसभरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर** आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण–पत्र **18.06.2022** तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक **19.06.2017** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

नियमावली

1. संस्था का नाम : डा0 राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
2. संस्था का पूरा पता : ग्रा0 कसभरा आढ़त पो0 व तह0 पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके निर्णय के उपरान्त ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकेगा आवेदक का बालिग होना आवश्यक होगा तथा सदस्यता का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा।

आजीवन सदस्य :- समिति को एक मुश्त रुपये 2100/-नकद या इसके समकक्ष चल/अचल संपत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति समिति के आजीवन सदस्य कहलायेंगे।

विशिष्ट सदस्य :- समिति को एक मुश्त रूपये 1100/-नकद देने वाले व्यक्ति पांच वर्ष के लिए विशिष्ट सदस्य बन सकेंगे।

साधारण सदस्य :- संस्था को मात्र 200/-रुपये प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण सदस्य बन सकेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :-निम्नलिखित आधार पर कार्यकारिणी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

मृत्यु होने पर :- वे सदस्य जिनकी किसी कारण से मृत्यु हो जायेगी तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

पागलपन होने पर :- किसी सरकारी डॉक्टर के द्वारा किसी सदस्य को पागल घोषित करने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

दंडित होने पर :- वे समस्त व्यक्ति जिनको किसी न्यायालय ने किसी अपराध में दंडित किया हो तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

दिवालिया होने पर :- वे सदस्य जो दिवालिया घोषित हो जायेगें तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

सदस्यता शुल्क न देने पर:-ऐसे सदस्य जिनका निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न होगा तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

मीटिंगो में अनुपस्थित:-संस्था की लगातार तीन बैठको में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति सदस्यता के पात्र नही होंगे।

त्यागपत्र स्वीकृत होने पर :- यदि किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने तथा उसके स्वीकार हो जाने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर:-यदि किसी सदस्य द्वारा संस्था के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तथा संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आढ़त, पुवायाँ (शाह०)

संजय नीतिगुप्ता Ayush Gupta

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आढ़त, पुवायाँ (शाह०)

Notary Advocate Govt. of India
Teh. Powayan-Shahjahanpur

Scanned by CamScanner

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया।

क्रमसं०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	संजय गुप्ता पुत्र श्री मथुरा प्रसाद	मो० कसमरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	अध्यक्ष	व्यापार
2.	आयुष गुप्ता पुत्र श्री अनूप गुप्ता	मो० कसमरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	नीति गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता	मो० कसमरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	प्रबन्धक	गृहणी
4.	वर्षा गोस्वामी पुत्री श्री जगदीश गोस्वामी	ग्राम भौना पो० कमलापुर तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
5.	मोहित गुप्ता पुत्र श्री हरीश चन्द्र गुप्ता	मो० कसमरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	सदस्य	व्यापार
6.	अमित गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता	मो० कसमरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	सदस्य	व्यापार
7.	संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता	मो० कसमरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	सदस्य	व्यापार
8.	कंचन गुप्ता पत्नी श्री अनूप कुमार गुप्ता	मो० कसमरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर	सदस्य	गृहणी

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमों के अनुसार सोसाइटीज रजि० एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

NOTARY ★ U.P. INDIA GOVERNMENT OF

दि0. 12.6.2017 उक्त 1 से 8 तक के पते प्रमाणित

नीति गुप्ता

संजय Ayush Gupta वर्षा गोस्वामी मोहित गुप्ता

अमित संजीव कुमार गुप्ता कंचन गुप्ता

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसमरा आदत, पुवायाँ (शाह०)

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसमरा आदत, पुवायाँ (शाह०)

R. A. TIWARI
Notary Advocate Govt.of India
Teh. Powayan-Shahjahanpur

Scanned by CamScanner

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
2. संस्था का पूरा पता : मो० कसभरा आढ़त पो० व तह० पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे–

1. जनमानस का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक विकास हेतु कार्य करना इस हेतु निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा हेतु विद्यालयो/कॉलेजो की स्थापना/संचालन करना।
2. समाज के गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यको, वृद्धो, मूकबधिरो, नेत्रहीनो, विकलांगो, विधवाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, सभी वर्ग के लोगो को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, नृत्य, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटीशियन, हस्तशिल्प, दस्तकारी, कारचोबी, जरी जरदोजी, कुकरी, शार्टहैन्ड, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर सापटवेयर/हार्डवेयर, इन्टरनेट, इलैक्ट्रिकल, प्रिटिंग, छपाई आदि पर निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु योग्य बनाना तथा गरीबो व विकलांगो की मदद करना।
3. गरीब लड़के/लड़कियो हेतु विवाह सम्मेलन तथा विधवाओ को पुर्नविवाह हेतु प्रेरित करना एवं सामाजिक बुराईयों जैसे जाति प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, बाल मजदूरी, नशा आदि के उन्मूलन मे सहयोग करना तथा समाज से निष्कासित गरीब, अनाथ, विकलांग बच्चो एवं वृद्धो हेतु दैवीय आपदाओ जैसे सूखा, बाढ़, भूकम्प, महामारी आदि के समय बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, अनाथालय, वृद्धआश्रम, कुष्ठ आश्रम, बालग्रह केन्द, नारी निकेतन, शिशुपालन गृह, योग केन्द तथा उनके खाने–पीने, कपड़ा एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना।
4. पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, फल संरक्षण, कृषि संरक्षण, टीकाकरण, बागवानी, पल्सपोलियो, स्वास्थ्य/नेत्र शिविर, महिला प्रजनन बाल विकास, परिवार कल्याण, मलिन बस्ती सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, पानी निकास, सुलभ शौचालय, बंजर भूमि सुधार, वृक्षारोपण, जनसंख्या/प्रदूषण नियंत्रण, जड़ी–बूटी खेती, लघु/कुटीर उद्योग, रेशम उद्योग, शहद उत्पादन, शुद्धपेयजल, जलागम जैसे राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा कैंसर, टी०बी०, एड्स, डेंगू, फ्लू जैसी बीमारियो के बारे मे जानकारी देकर निशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
5. छात्र/छात्राओ के सम्मुख आने वाली समस्याओ का निराकरण कर उनके मनोरंजन हेतु खेल, पुस्तकालय एवं पर्यटन की व्यवस्था करना, मेधावी छात्र/छात्राओं एवं खिलाड़ियो को पुरस्कृत कर उनका ज्ञानवर्धन करना तथा अल्पसंख्यको, अनाथ बच्चो, निर्धन, विकलांगों को निःशुल्क पुस्तके, छात्रवृत्ति एवं छात्रावास आदि की व्यवस्था करना तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कृषि/वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, अरबी एव फारसी शिक्षा की व्यवस्था करना।
6. सामाजिक उत्थान हेतु विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, वाद–विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद/शिक्षा प्रतियोगिता, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम केन्द की व्यवस्था करना।
7. केन्द/राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के विकास एवं युवक–युवतियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनओं को अपनाना एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, अनुदान एवं ऋण सहायता प्राप्त करना।
8. संस्था द्वारा धारा 1 व 20 के अन्तर्गत शैक्षिक/सामाजिक कार्य किये जायेंगे।
9. अन्य वे कार्य करना जो उपरोक्त संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो एवं सोसायटी एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अन्तर्गत हो।

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आदत, पुवायाँ (शाह०)

नीतिगुप्ता
Ayush Gupta
मोहितगुप्ता
कंचनगुप्ता
संजीवकुमार गुप्ता

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आदत, पुवायाँ (शाह०)

Attested
Notary Advocate Govt. of India
Teh. Powayan-Shahjahanpur

Scanned by CamScanner

6. संस्था के अंग :–
   (1) साधारण सभा
   (2) प्रबन्धकारिणी समिति,

7– साधारण सभा :–

गठन:– इस संस्था की साधारण सभा वह सभा कहलायेगी जिसमें सभी वर्गो के सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा इन सभी सदस्यों को अपना मत प्रकट करने का अधिकार रहेगा।

बैठके :– साधारण सभा की सामान्य बैठक एक साल में कम से कम एक बार होगी तथा आवश्यकता होने पर कभी भी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

सूचना :– ऐसा एजेन्डा जिसमें बैठक का विषय, तिथि, स्थान व समय अंकित हो सदस्यों के पास सामान्य बैठक के लिए कम से कम एक सप्ताह पूर्व एवं विशेष बैठक के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व पहुँचानी आवश्यक होगी सूचना निजी वाहक द्वारा/रजिस्टर्ड डाक द्वारा रजिस्टर्ड पते पर दी जायेगी।

गणपूर्ति :– साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति हो जाने पर इसकी बैठको का कोरम पूर्ण होगा। इस प्रकार कोरम 2/3 होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि :– यह अधिवेशन हर साल के अन्तिम सप्ताह मे प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर अर्थात दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह में आहुत किया जायेगा इसमें वार्षिक बजट पर विचार होगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन अपने सदस्यों में से करना।
2. संस्था के आय व्यय पर नियंत्रण रखना व सालाना रिपोर्ट पास करना व स्वीकृत बजट को व्यय करना।
3. उद्देश्यो की पूर्ति करना व नियमो मे परिवर्तन करना।
4. कार्यकारिणी समिति में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति करना।

8. प्रबंधकारिणी समिति :–इस समिति को कार्यकारिणी समिति भी कहा जायेगा जिसका गठन, बैठक, कोरम, सूचना अवधि आदि निम्न प्रकार रहेगी :–

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आदत, पुवायाँ (शाह०)

नीति गुप्ता
Ayush Gupta

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आदत, पुवायाँ (शाह०)

N. A. KIRMANI
Notary Advocate
Teh. Powayan-Shahjahanpur

Scanned by CamScanner

गठन :– प्रबंधकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष एवं शेष सदस्य होंगे जिनकी संख्या कम से कम 7 व अधिक से अधिक 25 तक आवश्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

चुनाव प्रक्रिया–: चुनाव प्रक्रिया में वह सभी सदस्य भाग ले सकेंगे जिन्होने नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करके उचित रसीद प्राप्त कर ली हो तथा जिन्हे साधारण सभा के गठन के अनुसार मत देने का अधिकार हो साधारण सभा द्वारा चुनाव के लिए आहुत की गयी नियमानुसार बैठक में समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यो का चुनाव कम से कम एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक के द्वारा होना अनिवार्य होगा।

बैठकें :– प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक एक साल में तीन बार होगी तथा आपातकालीन स्थिति में कभी भी विशेष बैठक का आयोजन हो सकेगा।

सूचना :– प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना कम से कम 24 घंटे पूर्व समस्त सदस्यों व पदाधिकारियों को दी जायेगी सूचना निजी वाहक द्वारा/रजिस्टर्ड डाक द्वारा रजिस्टर्ड पते पर दी जायेगी।

गणपूर्ति :– यदि बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 2/3 हो जायेगी तब इसकी बैठक की गणपूर्ति होगी इस प्रकार कोरम 2/3 होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :– प्रबंधकारिणी समिति में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों में से अपने सदस्यों में 2/3 बहुमत से किया जायेगा। जो शेष कार्यकाल के लिए होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

1. समिति का उचित रूप से संचालन करना।
2. उद्देश्यो की पूर्ति करना व नियमो मे परिवर्तन करना।
3. सदस्यो के त्यागपत्र स्वीकार करना।

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का रहेगा।

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आढ़त, पुवायाँ (शाह०)

नीतिगुप्ता
रोजन Ayush Gupta कमोलिनी

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आढ़त, पुवायाँ (शाह०)

R. K. RIRANANI
Notary Advocate Govt.of India
Teh. Powayan-Shahjahanpur

Scanned by CamScanner

9. <u>प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य</u> :-

<u>अध्यक्ष</u>-
1. समस्त प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. समिति के अभिलेखो की सुरक्षा करना एवं उनकी देखभाल करना।
3. संस्था से सम्बन्धित सभी प्रपत्रो की देखरेख करना।.
4. संस्था के समस्त कार्यो का निरीक्षण करना व अपने सुझाव देना।
5. संस्था के सामान्य कार्य पूर्ण करना।
6. बैठको में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
7. संस्था के हित मे कार्य करने हेतु सलाह मशविरा करना।

<u>उपाध्यक्ष</u>- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके कार्य करना व उसके कार्यो मे सहयोग करना।

<u>प्रबन्धक</u>-
1. समिति की बैठको का आयोजन करना एवं उसकी तिथि निर्धारित करना।
2. बैठको की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में लिपिबद्ध करना व उसको बैठक में पढ़कर सुनवाना।
3. बैठक में समान मत होने पर अपना एक निर्णायक मत देना।
4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार के पत्र–व्यवहार करना।
5. संस्था की ओर से होने वाली अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।
6. संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राज्य/केन्द्र सरकार, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागो से दान, चन्दा, अनुदान एवं राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण सहायता प्राप्त करना।
7. संस्था के पदाधिकारियो/सदस्यो को 2/3 बहुमत के आधार पर घटाने–बढ़ाने का अधिकार होगा।
8. संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।
9. कर्मचारियो की उन्नति एवं पदोन्नति करना।
10. सदस्यो/पदाधिकारियो को बहुमत के आधार पर परिवर्तन करना।
11. संस्था की ओर से होने वाला समस्त प्रकार का बैनामा/ठेकानामा/इकरारनामा, ऋण तथा संस्था के समस्त प्रकार के अभिलेखों/प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
12. संस्था के कोष का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरो से करना।

<u>कोषाध्यक्ष</u> -: वह अपने पास 1000/रू0 तक नकद रख सकता है इससे अधिक धनराशि को सरकारी/प्राइवेट बैंक एवं पोस्ट आफिस मे जमा करेगा तथा बिल वाउचर तैयार कर उनको पास करायेगा।

अध्यक्ष
डा0 राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आदत, पुवायाँ (शाह0)

नीतिगुप्ता
Ayush Gupta

अध्यक्ष
डा0 राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आदत, पुवायाँ (शाह0)

Notary Advocate Govt. of India
Teh. Powayan-Shahjahanpur

Scanned by CamScanner

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :– साधारण सभा की विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसमें बैठक के सदस्यों की उपस्थिति 2/3 होने के आधार पर संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं उपनियम बनाने की कार्यवाही की जायेगी परन्तु यह परिवर्तन उस समय मान्य होंगे जब इसकी अनुमति सम्बंधित कार्यालय से प्राप्त हो जायेगी।

11. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) :– समस्त स्त्रोतो से प्राप्त धनराशि को स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राइवेट बैंक एवं पोस्ट आफिस में समिति के नाम से खोले गये खाते में समिति की समस्त धनराशि जमा की जायेगी इस खाते का संचालन संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरो से या इनमें से किसी एक के हस्ताक्षर से संचालित होगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :– समस्त आय–व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त सी०ए० (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) से प्रत्येक वर्ष अथवा आवश्यकतानुसार कभी भी कराया जायेगा, जिसकी जॉच आख्या प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत की जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–: यदि संस्था किसी न्यायालय में कोई वाद दायर करेगी अथवा संस्था के विरूद्व कोई वाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किया जायेगा, तो इसके संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

14. संस्था के अभिलेख :– समस्त प्रकार के अभिलेखों के रख–रखाव हेतु संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे :–

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टॉक रजिस्टर ।
4. कैश बुक ।
5. एंजेण्डा रजिस्टर आदि।

15. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :– यदि किसी कारण से संस्था समाप्त हो जायेगी या संस्था विघटित हो जायेगी, तो इस प्रकार बची हुई चल/अचल सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

नीति गुप्ता
Ayush Gupta
दि० :–
रंजना
अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आढ़त, पुवायाँ (शाह०)

सत्यप्रतिलिपि

अध्यक्ष
डा० राम मनोहर लोहिया वेलफेयर सोसायटी
कसभरा आढ़त, पुवायाँ (शाह०)

R. A. KIRMANI
Notary Advocate Govt.of India
Teh. Powayan Shahjahanpur

Scanned by CamScanner